नियमावली

1.संस्था का नाम - शांती जनचेतना समिति.
2.संस्था का पता - ग्राम बाँगुरी पोस्ट दिगनेर तहसील फतेहाबाद जिला आगरा
3.संस्था का कार्यक्षेत्र - उत्तर प्रदेश ।
4.संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार ।
5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

1. संरक्षक सदस्य -
जो सज्जन इस संस्था को 1000/- रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

2. आजीवन सदस्य -
जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा, वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3. साधारण सदस्य -
जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/-रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4. विशिष्ट सदस्य -
ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन मन धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान हो सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य [illegible] ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा ।परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति -
1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. सदस्य की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी [illegible] होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत [illegible] प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा [illegible]
6. न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

2 [illegible]

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा, मं० आगरा
31/12/2016

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम - शांती जनचेतना समिति,
2. संस्था का पता - ग्राम बांगुरी पोस्ट दिगनेर तहसील फतेहाबाद जिला आगरा,
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था के उद्देश्य - निम्न लिखित :-

1. निर्धन, अनाथ, असहाय, लोगों एंव बृद्धजनों के कल्याण हेतु आत्म निर्भर बनाने हेतु सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाना व सुलभ ग्रामोद्योगी एवं निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षणदेकर/दिलाकर उन्हें स्वालम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना तथा उनके उन्नय स्थल की स्थापना करना एवं निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता कार्यक्रम चलाना तथा विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना ।
2. नागरिकों के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछडे एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण, कार्यक्रमों आदि को चलाना व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरुकता शिविर का आयोजन करना ।
3. नागरिकों में सामाजिक जनचेतना जागृत कराना एवं विज्ञापन पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से एड्स एवं हैपेटाइटिस के बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स से प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना ।
4. संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निःशुल्क तकनीकि एवं व्यावसायिक शिक्षण –प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना ।
5. कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्रदान करना ।
6. संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यक्रमों, ... स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहतशिविरों, नेत्र रक्षा शिविर, जनजागृति शिविरों मेला –प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा निःशुल्क प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्य निषेध कार्यक्रम ... ।
7. देश–विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं ... करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ... संस्थाओं के विकास हेतु पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन कर उन्हें ... कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना ।
8. संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु ... प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट ... आवश्यकतानुसार महाविद्यालय तक के विद्यालयों एवं शोध संस्थानों की स्थापना ... ज्ञान उपलब्ध कराना, कम्प्यूटर प्रणाली की नवीनतम ... करना व कराना । व नवयुवक–युवतियों को कम्प्यूटर के ... कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना व कम्प्यूटर के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
9. संस्था का उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं को वर्तमान पद्धति के अनुसार शिक्षा तथा मध्यकालीन भोजन की व्यवस्था करना ।

Secretary

सत्य प्रतिलिपि

Secretary/Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

8/5/2010

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पता, पद, व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

क0सं. नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–डा0 भानु प्रताप सिंह	श्री मोहन सिंह	ग्राम बॉंगुरी पो0 दिगनेर जिला आगरा	अध्यक्ष	चिकित्सा
2–श्री रामसेवक शर्मा	श्री छोटे लाल शर्मा	84 हनुमान गंज, फिरोजाबाद	उपाध्यक्ष	व्यापार
3–श्री राजेश सिंह परिहार	श्री वी0पी0सिंह	ग्राम बॉंगुरी पो0 दिगनेर जिला आगरा	प्रबन्धक/ सचिव	[illegible]
4–श्रीमती अनीता सिंह	श्री युवराज सिंह	ग्राम बॉंगुरी पो0 दिगनेर जिला आगरा	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	गृहणी
5–श्री यजुवेन्द्र सिंह	श्री वच्चू सिंह	ग्राम बॉंगुरी पो0 दिगनेर जिला आगरा	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6–श्रीमती वीना सिंह	श्री वलवीर सिंह	58, एम.आई.जी. शहीद नगर, आगरा	सदस्य	गृहणी
7–श्रीमती रीना सिंह	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	राजपुर चुंगी, आगरा	सदस्य	गृहणी
8–श्रीमती शिरोमणि सिंह	श्री राजीव सिंह	गोगा गेट, बीकानेर	सदस्य	गृहणी
9–श्री कल्यान सिंह	श्री मिहीलाल जी	ग्राम थापनहदवारी पो0 भीकापुर जिला आगरा	सदस्य	कृषि
10–श्रीमती पिंकी शर्मा	श्री विश्नुप्रकाश शर्मा	84 हनुमान गंज, फिरोजाबाद	सदस्य	गृहणी
11–[illegible] शालिनी	श्री वी0एस0 परिहार	ग्राम बॉंगुरी पो0 दिगनेर जिला आगरा	सदस्य	[illegible]
12–श्री कृष्णकुमार सिंह	श्री सुरवन सिंह	ठाकुर निवास, डा0 चरत सिंह कॉलोनी अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई	सदस्य	व्यापार

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता ये घोषित करते हैं कि हम निम्न स्मृतिपत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो0रजि0एक्ट 1860 के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया है।

दिनांक

Raj Ram Sevak

रीना सिंह वीना सिंह Aneela Shiromani

कल्यान सिंह Shalini Pinki k.k.Singh

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

सत्य प्रतिलिपि

10 समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाहों का आयोजन करना एवं परित्यक्ताओं व विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु प्रेरित करना ।

11 विकलांगों के उपचार हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में सहायता प्रदान करना एवं निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना ।

12 पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कराना एवं पौधशाला की स्थापना करना एवं ऊसर खाली पडी बंजर भूमि पर सरकार के माध्यम से सघन वृक्षीकरण करना एवं बनीकरण को बढावा देना ।

13. खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों के संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन करने की व्यवस्था करना व रखरखाव की व्यवस्था करना ।

14 संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु पुस्तकालय,वाचनालय, क्रीड़ाकेन्द्र, छात्रावास एवं विकलांग तथा बाल श्रमिक विद्यालय की व्यवस्था करना एवं सामुदायिक केन्द्रों, पशु चिकित्सालय, एवं अन्य धर्मार्थ संस्थानों, शिक्षासंस्थानों, धर्मशाला, निःशुल्क औषधालयों, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम का निर्माण व संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना । तथा निर्धन व विकलॉगों के लिये पुस्तक, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना ।

15 शिक्षा एवं उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित डिग्री कॉलेजों की स्थापना कर उनका विधिवत संचालन करना ।

16 संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन गौ पालन, भैंस पालन, मधुमक्खी पालन, आदि को बढावा देना तथा फ्लोरी–कल्चर एवं अन्य उन्नत कृषि औषधियों की कृषि को बढावा देना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित कर गाँवों का सर्वांगीण विकास करना ।

17 केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक– युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, हस्तशिल्प, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्रॉइंग, पेन्टिंग कला प्रशिक्षण, तथा टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट) इलेक्ट्रिक, इलैक्ट्रोनिक्स, फैशन डिजायनिंग, ब्यूटीशियन, टैक्सटाइल्स डिजायनिंग, इन्टीरियर डिजायनिंग आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

18 समाज के अपेक्षित जैसे–अन्धे, कुष्ठ, रोगी व मुक बधिरों, विकलांगों व निराश्रित लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्य करना [illegible] वृद्धाश्रम की निःशुल्क स्थापना करना ।

19 निर्धन एंव अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय [illegible] के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण [illegible], हडको, महिला एंव बाल विकास विभाग,कपार्ट काई,सिप्सा, [illegible], आवार्ड, [illegible], डूडा,सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय, महिला कोष,बाल विकास पुष्टाहार,महिला कल्याण एंव बाल कल्याण निधि महिला कल्याण निगम,राष्ट्रीय बाल भवन [illegible] मंत्रालय ,पर्यावरण मंत्रालय,मत्स्य विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,[illegible] संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय ,राजीव गाँधी फाउन्डेशन,विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

7.संस्था के अंग :- 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

8.साधारण सभा -

गठन -

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक -

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी

सूचना अवधि -

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिऐ कुल सदस्यो की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकमों की रूपरेखा तैयार करवाना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यो को चुनकर किया जायेगा जिसमे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष,एक प्रबन्धक/सचिव,एक उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगें।सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई - बढाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिनपूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिऐ कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई [illegible] स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिऐ कर ली जावेगी

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

3..पर

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा

3/8/2016

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Ramsevak

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकनों की रूपरेखा तैयार कराना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों, एंव अन्य संस्थानों,प्रतिष्ठानों,निकायों,नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा,एंव बैंक आदि से ऋण एंव वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एंव चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

ल. कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा ।

10. <u>पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –</u>

<u>1. अध्यक्ष –</u>

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिगों की अध्यक्षता करना ।
2– मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

<u>उपाध्यक्षः–</u>

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना , सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना ।.

<u>प्रबन्धक / सचिव –</u>

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना ।
3. संस्था की अचल–चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान चैकों ड्राफ्टों बैंक बिलेखों बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना । ।
4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना व समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
5. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों / मे कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना एंव उनकी सेवा शर्तें के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
6. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपप्रबन्धक / उपसचिवः–

संस्था के प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थित में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना एवं उपस्थित में कार्यो में सहयोग प्रदान करना ।

4 पर

सत्य प्रतिलिपि

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

... B. P. S. College
... Shamsabad Road, AGRA

कोषाध्यक्ष

1— संस्था के आय–व्यय विवरण को रखना ।

2— प्रबन्धक / सचिव द्वारा सोपे गये कार्यो को करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया –

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था –

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक , मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)–

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टैंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व –संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक / सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख –

1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– एजैण्डा रजिस्टर 4– स्टाक रजिस्टर 5– कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन –

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सो0सा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक–

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा क्षेत्र, आगरा

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

कोषाध्यक्ष

1– संस्था के आय–व्यय विवरण को रखना ।

2– प्रबन्धक / सचिव द्वारा सोपे गये कार्यों को करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया –
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था –
संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)–
संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टैंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व –संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक / संचिव अथवा उसकें द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख –
1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– एजैण्डा रजिस्टर 4– स्टाक रजिस्टर 5– कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन –
यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सो0सा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक–

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं०, आगरा

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra

Secretary /Manager
Shanti Jan Chetna Samiti
Banguri, Shamsabad Road, Agra